देश

उवाच

नवीन जिंदल ने संसद में रिफाइंड तेलों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों का मुद्दा उठाया, कहा कई अध्ययनों से पता चला है कि बार-बार किए गए रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और हानिकारक ट्रांस फैट उत्पन्न होते हैं, जिससे हृदय रोग, डायबिटीज और मोटापा जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है: **नवीन जिंदल, सांसद भाजपा**

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	38.9	17.7
मुंबई	32.0	23.5
कोलकाता	37.0	24.6
चेन्नई	34.6	24.1

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर राज्यसभा में बोलीं सोनिया, कहा

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' को बहुत कम दिया जा रहा धन

नई दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसियां)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विषय राज्यसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व अधिकारों की पूर्ति न होना एक गंभीर चिंता का विषय है।

सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आधार रहा है। इस अधिनियम में अनौपचारिक क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रति बच्चा 6,000 रुपए की मातृत्व पात्रता शामिल है। हालांकि, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का उद्देश्य इस पात्रता को पूरा करना है, लेकिन यह पहले बच्चे के लिए केवल 5,000 रुपए प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि अगर

> पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आधार रहा है। इस अधिनियम में अनौपचारिक क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रति बच्चा 6,000 रुपए की मातृत्व पात्रता शामिल है: **सोनिया गांधी**

नवजात लड़की है तो दूसरे बच्चे के लिए भी इसे बढ़ाया जाता है। सोनिया गांधी ने सदन में कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए एक सूचित विश्लेषण के

अनुसार, लगभग 68 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को अपने पहले जन्मे बच्चे के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की एक किस्त मिली।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वर्ष यह संख्या नाटकीय रूप से घटकर केवल 12 प्रतिशत रह गई। सोनिया गांधी ने कहा कि वह केंद्र सरकार से पूछना चाहेंगी कि ऐसा क्यों होने दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मातृत्व लाभ प्रावधान के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की आवश्यकता है। उन्होंने सदन को बताया कि आश्चर्यजनक रूप से, बजट दस्तावेजों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवंटन के बारे में अलग से जानकारी नहीं है।

जनता के प्रति सच्ची मंशा रखनी होगी: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राज्यसभा में कहा है कि स्थानीय प्रशासन को सरकार की नीतियों और कानूनों के क्रियान्वयन में ईमानदारी बरतनी होगी और आम जनता के हित में काम करना होगा। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा शुरु करते हुए कहा कि इस विधेयक से पांच कानूनों में बदलाव होगा, लेकिन क्रियान्वित करने की मंशा ठीक होनी चाहिए। अधिकारियों को ईमानदारी बरतनी होगी। आम जनता के हित में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक से सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों का ऋण लेने भागने वाले लोगों को माफी दे रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को रोका जा सकता था लेकिन संबंधित अधिकारियों ने ढील दी। बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 में बदलाव होगा।

झारखंड विधानसभा में जदयू विधायक ने लाया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, विपक्ष का समर्थन

रांची, 26 मार्च (एजेंसियां)। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 19वें दिन बुधवार को जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। स्पीकर की अनुमति के बाद सरयू राय ने विधानसभा में इस पर अपना संक्षिप्त वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सभा-सदस्य के किसी प्रश्न का गलत और गुमराह करने वाला उत्तर देना सदन की अवमानना है। यह सभा-सदस्य के सही उत्तर जानने के अधिकार का हनन है। सरयू राय ने कहा कि 21 मार्च, 2025 को मेरे अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया और स्वास्थ्य विभाग में सही प्रतिवेदन होने के बावजूद उन्होंने प्रश्न के कंडिका-2 का गलत उत्तर दिया है। उनके अनुसार, उनका प्रश्न झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में निबंधक-सह-सचिव पद पर अनियमित तरीके से नियुक्ति करने के विषय में था। कंडिका-2 में उन्होंने पूछा था कि किसी फार्मासिस्ट का पंजीयन एक ही दुकान के लिए होता है, परंतु राज्य सरकार ने वैसे व्यक्ति को फार्मेसी काउंसिल का सचिव-सह-निबंधक नियुक्त किया है, जिसका पंजीयन एक से अधिक स्थानों पर है। इस बारे में सहायक निदेशक (औषधि), दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल द्वारा निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, झारखंड को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उस व्यक्ति का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन अलग-अलग स्थानों पर है। जांच में फार्मेसी द्वारा सहयोग नहीं किया गया और आवश्यक सूचनाएं नहीं दी गईं।

संसद से

कोयला आयात में अप्रैल-दिसम्बर 2024 के दौरान 8.38 प्रतिशत की गिरावट

नई दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसियां)। देश में कोयले का आयात चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-दिसम्बर के नौ माह के दौरान एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में मात्रा के आधार पर 8.38 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 18.10 प्रतिशत कम रहा। यह जानकारी कोयला एवं खान राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर 2024 की अवधि में कुल करीब 1.91 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 18.34 करोड़ टन कोकिंग और नान कोकिंग कोयले का आयात किया गया था। 2023-24 की इसी अवधि में करीब 2.34 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 20 करोड़ टन कोयले का आयात किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 की पूरी अवधि में कुल 3.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का 26.45 करोड़ कोयला आयात किया गया था।

निर्भया कोष बंद नहीं है: मंत्री

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में कहा कि निर्भया कोष को बंद नहीं किया गया है और इसी के तहत अभी 49 योजनाएं चल रही है। केन्द्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस कोष के लिए धनराशि की कमी नहीं है क्योंकि आवश्यकता अनुसार धनराशि दी जाती है। इसी कोष के तहत वन स्टॉप सेंटर भी चलाये जा रहे हैं। देश में अभी 812 सेंटर संचालित है और अब तक 10 लाख से अधिक महिलाओं को इस सेंटर से मदद मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त या पीड़ित महिलाएं इस सेंटर में पहले पांच दिन रह सकती हैं और आवश्यकता होने पर रहने की अवधि में 10 दिनों की वृद्धि की जाती है।

दुष्कर्म के मामले में जज के फैसले से देश शर्मसार

लोकसभा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में दिये गये फैसले का मुद्दा उठाया गया और कहा गया कि न्यायाधीश के वक्तव्य से देशवासियों की भावनाएं आहत हुईं है और महिलाएं शर्मसार हुईं हैं। लोकसभा में शून्यकाल में लोक महत्व के मुद्दों के तहत भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत ने कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी है तब से महिलाओं के सशक्तीकरण के अनेक फैसले लिये गये हैं। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के वक्तव्य से मन व्यथित हो गया है। श्री राजपूत ने कहा कि पता नहीं किसी निजी स्वार्थ के वश या किसी अन्य कारण से उन्होंने कहा है कि किसी महिला के निजी अंग को पकड़ना, कपड़ा फाड़ने या पजामे के नाड़ा खींचने के प्रयास को बलात्कार के प्रयास नहीं माना जा सकता है।

सार संक्षेप

जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई के तहत बुधवार को हुर्रियत के एक पूर्व अध्यक्ष समेत कई शीर्ष अलगाववादी नेताओं के आवासों पर छापे मारे। यह छापेमारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद की गई कि कश्मीर में अलगाववाद अतीत की बात हो गई है, क्योंकि दो हुर्रियत नेताओं ने अलगाववादी गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया है। पुलिस ने आज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों के सिलसिले में श्रीनगर और सोपोर में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। ये मामले प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस (भट ग्रुप), जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग (मसरत आलम ग्रुप) और जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (शब्बीर शाह ग्रुप) शामिल हैं।

ओडिशा ने दस लाख लखपति दीदियों का आंकड़ा किया पार

भुवनेश्वर। लखपति दीदी पहल ने ओडिशा के 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के जीवन को बदल दिया है। बुधवार को यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ओडिशा ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में 10 लाख लखपति दीदी बनाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विज्ञप्ति में कहा गया है, गये केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि हमारी ग्रामीण महिलाओं, खासकर दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के दृढ़ संकल्प, लचीलेपन और प्रतिभा का प्रमाण हैं। पहचान की गई संभावित लखपति दीदियों की आय का विवरण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) एप्लीकेशन और वेब पोर्टल विकसित किया है जिसे लोकओएस के नाम से जाना जाता है।

मंत्री राजन्ना ने हनी ट्रैप मामले में गृह मंत्री के समक्ष की याचिका दायर

बेंगलुरु, 26 मार्च (एजेंसियां)। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर के समक्ष औपचारिक रूप से एक याचिका दायर की। जिसमें विभिन्न दलों के नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। यह याचिका उन्होंने हाल ही में राज्य विधानसभा में दिए गए अपने खुलासे के बाद दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें और 48 अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों को इस तरह के प्रयासों में निशाना बनाया गया था। विधानसभा में दिए गए अपने बयान को स्पष्ट करते हुए राजन्ना ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि प्रभावित लोगों में न्यायाधीश भी शामिल थे। डॉ. परमेश्वर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक महिला, जो खुद को वकील बताती थी, एक पुरुष सहयोगी के साथ दो बार उनके बेंगलुरु कार्यालय में आई थी। उन्होंने कहा, 'मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन अगर उसे मेरे सामने लाया जाए, तो मैं उसे पहचान सकता हूं।'

सेना के लिए 6900 करोड़ में खरीदी जाएंगी अत्याधुनिक तोप प्रणाली

नई दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसियां)। रक्षा मंत्रालय ने सेना को अत्याधुनिक तोपों से लैस करने के लिए 6900 करोड़ रूपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना की तोपखाना क्षमता बढाने के उद्देश से 155 मिमी/52 कैलिबर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और हाई मोबिलिटी गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद की जायेगी। मंत्रालय ने इसके लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। हस्ताक्षर के समय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी

> सेना की तोपखाना क्षमता बढाने के उद्देश से 155 मिमी/52 कैलिबर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और हाई मोबिलिटी गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद की जायेगी: **रक्षा मंत्रालय**

मौजूद थे। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक पूंजीगत खरीद के लिए कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर के अवसर पर तोप प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान की तोप प्रणाली के परियोजना निदेशक को रक्षा सचिव द्वारा सम्मानित किया गया। नयी तोप प्रणाली पुरानी और छोटी कैलिबर वाली तोपों की जगह लेगी जिससे भारतीय सेना की तोपखाना क्षमताओं में बढोतरी होगी।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एमएसएमई और स्ट्राट अप के साथ गहन विचार विमर्श

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 50 सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की इकाईयों तथा स्ट्राट अप के साथ गहन विचार विमर्श किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा इन इकाईयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रमुख चुनौतियों को समझने, अवसरों की पहचान करने और नवाचार में तेजी लाने पर विचार-विमर्श किया। दो दिन का यह विचार विमर्श सोमवार और मंगलवार को हुआ। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले अधिकांश स्टार्ट-अप और एमएसएमई रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) से जुड़े हुए थे।

राणा सांगा विवाद पर अखिलेश यादव की सफाई, कहा

'हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं'

लखनऊ, 26 मार्च (एजेंसियां)। मेवाड़ के शासक राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर अब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की, मतलब 'इतिहास' की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती।

> 'समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता: **अखिलेश यादव**

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही।' उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा, 'भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक-जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है।

सपा सांसदों ने सीएम योगी पर उठाए सवाल, कहा- वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए करते हैं बयानबाजी

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों को उठाया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वह बयानबाजी करते हैं। सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'पूरा उत्तर प्रदेश शासन केवल मूकदर्शक बना हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई योजना नहीं बना रहा है या मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। कहीं न कहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पुराने मुद्दों को उठाने और वास्तविक मामलों से ध्यान हटाने की एक रणनीति बन गई है।

संभल हिंसा

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने की न्याय की मांग

नई दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले साल 24 नवम्बर को हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ जारी किए गए नोटिस पर उन्होंने कहा कि मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। बर्क ने कहा, जब मुकदमा दर्ज हुआ और मेरा नाम गलत तरीके से इसमें शामिल किया गया, तो मैंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्पीकर साहब से मुलाकात की थी। मैंने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में चिंता जताई थी, क्योंकि मुझे सुरक्षा का अधिकार है। इस कारण हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हमें न्याय मिले।' बर्क ने कहा कि वह और उनके समर्थक पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और वह किसी भी गलतफहमी या अन्याय का विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब जब नोटिस जारी किया गया है, तो वह इसकी समीक्षा करेंगे और फिर इसके आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए परामर्श करेंगे। सांसद ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि उनका नाम अनावश्यक रूप से विवादों में घसीटा गया है और इस मामले का पूरी तरह से निष्पक्षता से समाधान होना चाहिए। बर्क ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर न्याय मिलने तक उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

> गलत तरीके से नाम घसीटने का लगाया आरोप

आंकड़े *2016 से 2022 के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बच्चों के लापता होने के आंकड़े जारी*

लापता हुए 5400 बच्चों में से 1500 अभी तक नहीं मिले

■ सुरेश एस डुग्गर

जम्मू, 26 मार्च (देशबन्धु)। आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 से 2022 के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5,400 से ज्यादा बच्चे लापता हुए, जबकि 1,500 से ज्यादा का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने बताया कि 2016 में 1,070 बच्चे लापता हुए, जिनमें 589 लड़के और 481 लड़कियां शामिल थीं।

इनमें से 766 मामले पिछले सालों के हैं, जबकि 304 बच्चे - 166 लड़के और 138 लड़कियां - उस साल लापता हुए। उसी साल 354 लापता बच्चों का पता लगाया गया, जिनमें 164 लड़के और 190 लड़कियां शामिल थीं। हालांकि, 716 बच्चे - 425 लड़के और 291 लड़कियां - का पता नहीं चल पाया। आंकड़े कहते हैं कि 2017 में कुल 725 बच्चे लापता हुए, जिनमें 431 लड़के और 294 लड़कियां

> 2016 में 1,070 बच्चे लापता हुए, जिनमें 589 लड़के और 481 लड़कियां शामिल थीं

शामिल थीं। इनमें से 614 मामले- 379 लड़के और 235 लड़कियां- पिछले वर्षों से चले आ रहे थे, जबकि 111 बच्चे- 52 लड़के और 59 लड़कियां- उस वर्ष लापता हो गए थे। उसी वर्ष, कुल 219 लापता बच्चों का पता लगाया गया, जिनमें 141 लड़के और 78 लड़कियां शामिल थीं। हालांकि, 506 बच्चे- 290 लड़के और 216 लड़कियां- का पता नहीं चल पाया।

इसी तरह से 2018 में, कुल 800 बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, जिनमें 384 लड़के और 416 लड़कियां शामिल थीं। 2019 में कुल 661 बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, जिनमें 306 लड़के और 355 लड़कियाँ शामिल हैं। इनमें से 384 मामले - 203 लड़के और 181 लड़कियाँ - पिछले वर्षों से चले आ रहे थे, जबकि 277 बच्चे - 103 लड़के और 174 लड़कियाँ - उस वर्ष लापता हुए।

आंकड़ों पर एक नजर डालें तो चता चलता है कि 2020 में कुल 627 बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, जिनमें 277 लड़के और 350 लड़कियां शामिल हैं। इनमें से 397 मामले - 214 लड़के और 183 लड़कियाँ - पिछले वर्षों से चले आ रहे थे, जबकि 230 बच्चे - 63 लड़के और 167 लड़कियां - उस वर्ष लापता हुए। उसी वर्ष, कुल 183 लापता बच्चों का पता लगाया गया, जिनमें 61 लड़के और 122 लड़कियां शामिल हैं। हालांकि, 444 बच्चे - 216 लड़के और 228 लड़कियां - लापता रहे। वर्ष 2021 में, कुल 723 बच्चे लापता बताए गए, जिनमें 280 लड़के और 443 लड़कियां शामिल हैं। इनमें से 444 मामले - 216 लड़के और 228 लड़कियां - पिछले वर्षों से चले आ रहे थे, जबकि 279 बच्चे - 64 लड़के और 215 लड़कियां - उस वर्ष लापता हो गए। लद्दाख में चार लापता बच्चे

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD.

ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028, फोन : 022-6923 1111/8879093790

[परिशिष्ट - 4-क][नियम 8(6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना
ई-नीलामी की तिथि : 28 अप्रैल, 2025

एतद द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से मैसर्स दिशा एजूकेशन सोसायटी (कर्जदार/बंधकदाता) सुरेन्द्र कुमार जैन एवं गोविंद चन्द्र राठ (व्यक्तिगत गारंटर), मैसर्स पंचम सेल्स प्रा. लि. एवं मैसर्स सिल्वा गुड्स प्रा. लि. (कार्पोरेट गारंटर) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक कब्जा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अब ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रा. लि. को समनुदेशित) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। तदुपरांत, ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) (ओंकारा पीएस 02/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 05-02-2025 के माध्यम से उक्त कर्जदार/गारंटरों के संबंध में सम्पूर्ण बकाया ऋण उसके तहत प्रतिभूति हित सहित अधिग्रहीत कर लिए हैं। उक्त समनुदेशन अनुबंध के अनुसरण में ओएआरपीएल ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है और सम्पूर्ण बकाया की वसूली करने तथा प्रतिभूति प्रवर्तित करने की हकदार हो गई है। तदनुसार, उपरिवर्णित कर्जदार/गारंटरों से ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 31-01-2025 तक देय बकाया राशि रू. 3,38,31,41,943.48/- (रूपये तीन सौ अड़तीस करोड़ इकतीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ तेतालीस तथा पैसे अड़तालीस मात्र) + 01-02-2025 की प्रभावी तिथि से ब्याज और खर्चों की वसूली के लिए, सांकेतिक कब्जा के आधार पर रायपुर में "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" तथा "जो भी है वहां है" और "कोई उपाय नहीं" आधार पर बेची जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री सरफासी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत अधिकारी और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेची जाएंगी।
सम्पत्ति का सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि संबंधित कालम में वर्णित की गई है।

सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मैसर्स दिशा एजूकेशन सोसायटी के नाम ग्राम पवेडा, पीएच नंबर 81/2, आरएनएम मंदिर हसौद, तहसील अरांग, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित भूमि एवं भवन खसरा नंबर 756, 757, 758, 780/2, 780/3, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 कुल परिमाप 5.94 हेक्टेयर, इक्विपमेंट्स एवं फिक्स्ड असेट्स सहित।	रू. 60,00,00,000/- (रूपये साठ करोड़ मात्र)	रू. 6,00,00,000/- (रूपये छह करोड़ मात्र)
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : ग्राम पवेडा, पीएच नंबर 1068, आरएनएम मंदिर हसौद, तहसील अरांग, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित भूमि एवं भवन खसरा नंबर 788/1-सी/2, 792/3 (24620 वर्ग फीट), 788/1-सी/3, 794/4 (24502वर्ग फीट), सरदार वल्लभ भाई पटेल, वार्ड नंबर 18, मौजा बिरूलडीह, तेलघाना नाका से कोटा रोड, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, इक्विपमेंट्स एवं फिक्स्ड असेट्स सहित।		

निरीक्षण की तिथि एवं समय	तिथि : 23-04-2025, समय : पूर्वा. 11.00 बजे
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रूपये 25,00,000/-
प्रतिभागिता हेतु बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने हेतु अंतिम तिथि और समय	25-04-2025
ई-नीलामी की तिथि	28-04-2025 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक

ओएआरपीएल द्वारा नीलामी ऑनलाइन संचालित की जाएगी। ईएमडी (डीडी/पे ऑर्डर मूल प्रति अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा प्रेषण) के सहित बोली (ऑनलाइन तथा हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि 25-04-2025 अप. 06.00 बजे तक है। बोली जमा करने के समय पर बोलीदाता को दिवाला ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29(क) के तहत शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बोली अस्वीकृत होगी।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया ाजजचेरूध्यउतांतबण्बवउध्नबजपवदण्चीच में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें। इच्छुक बोलीदाता जो ईएमडी जमा कर चुके हैं और लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बिड जमा करने में सहायता, ई-बिडिंग प्रोसेस में प्रशिक्षण के इच्छुक हैं, ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि.", टेली. हेल्पलाइन : +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी : नचचवतज/इंदामंनबजपवदेण्बवउ पर सम्पर्क करें। किसी सम्पत्ति संबंधी पूछताछ के लिए, प्राधिकृत अधिकारी - श्री पीयूष जैन, मोबाइल : +91 8879093790 ई-मेल : चपलनींण्रंपद/वउांतंतबण्बवउ से कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान सम्पर्क करें। ऐसा नहीं करने पर बोली अस्वीकृत होगी।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री हेतु कानूनी नोटिस

यह सूचना उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार/गारंटरों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत न्यूनतम 30 (तीस) दिन की अनिवार्य सूचना भी है कि सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री उपरिसंदर्भित तिथि एवं समय पर की जाएगी, इसके साथ ही उनको, यदि वे चाहें, सरफासी ऐक्ट की धारा 13(8) के तहत अनुबद्ध समय के भीतर, उपरिवर्णित बकाया राशि आगे ब्याज तथा सभी लागतों और खर्चों के साथ चुका करा आस्तियां छुड़ाने की सलाह भी दी जाती है। भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी विधि से की